उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कमांन्द, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड I

पिन-249131

ईमेल : gdckamand2016@gmail.com मोबाइल संख्या – 9897788009, 9410520590

पत्रांक : IQACPolicy /IQAC /2024-25 दिनांक : 18 दिसम्बर 2024

दिव्यांगजन अनुकूल वातावरण हेतु नीति दस्तावेज़

(Policy Document for the Disabled-Friendly Environment)

राजकीय महाविद्यालय कमांद, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

राजकीय महाविद्यालय कमांद, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में दिव्यांगजन अनुकूल वातावरण संबंधी नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के अनुरूप तैयार की गई है। उक्त अधिनियम शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।महाविद्यालय दिव्यांगता सहित किसी भी आधार पर होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है। महाविद्यालय का उद्देश्य एक समावेशी एवं व्यापक शिक्षण-अधिगम वातावरण विकसित करना है, जहाँ दिव्यांग विद्यार्थी अथवा कर्मचारी किसी प्रकार की असुविधा, उपेक्षा या प्रतिकूल व्यवहार का सामना न करें। महाविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसकी शैक्षणिक योजनाएँ, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ एवं विभिन्न गतिविधियाँ सभी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए सुलभ हों। इसमें दिव्यांगजन भी सम्मिलित हैं। महाविद्यालय सदैव दिव्यांगजनों को आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है।

1. नीति के उद्देश्य (Objectives of the Policy)

1. शिक्षा एवं कार्य के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के प्रति भेदभाव, शोषण एवं बहिष्करण को समाप्त करने के लिए समावेशी संस्कृति का विकास करना।
2. दिव्यांग विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को प्रभावी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त नियामक एवं संस्थागत व्यवस्था विकसित करना।
3. दिव्यांगजनों से संबंधित सभी अधिनियमों एवं सरकारी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. सुलभ एवं समावेशी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. दिव्यांगजनों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना।

इस नीति में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों एवं पदों का अर्थ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय-1 में उल्लिखित परिभाषाओं के अनुरूप होगा।

2. दिव्यांगता (Disability)

दिव्यांगता एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें शारीरिक गतिविधियों एवं संवेदनात्मक क्षमताओं से संबंधित सीमाएँ सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए चलने-फिरने, देखने अथवा सुनने में होने वाली कठिनाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं।

इसके अतिरिक्त दीर्घकालिक बीमारियों एवं विभिन्न चिकित्सकीय स्थितियों से उत्पन्न दिव्यांगताएँ भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक विकार, अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा, गठिया, मिर्गी, अर्जित मस्तिष्क क्षति (Acquired Brain Injury – ABI) तथा अर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम (AIDS) जैसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है।

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की प्रकृति एवं उनकी गंभीरता अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आवश्यक सुविधाएँ एवं सहायता भी संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिए।

3. पात्र दिव्यांग व्यक्ति (Qualified Person with Disability)

'दिव्यांगता से युक्त पात्र व्यक्ति' से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), शोध कार्यक्रम अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधि में भाग लेने के लिए निर्धारित पात्रता रखता हो।

1. **प्रवेश के संबंध में:** दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति को प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक पात्रता तथा संबंधित पाठ्यक्रम, उपाधि अथवा डिप्लोमा कार्यक्रम की आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा।
2. **रोजगार के संबंध में:** नियुक्ति, प्रशिक्षण, कार्य आवंटन एवं पदोन्नति के संदर्भ में पात्र दिव्यांग व्यक्ति को संबंधित पद के आवश्यक न्यूनतम कार्यों को संपादित करने में सक्षम होना चाहिए।
3. **शासकीय छूट एवं सुविधाएँ:** दिव्यांगजनों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार आवश्यक छूट एवं सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

4. महाविद्यालय के उत्तरदायित्व (The Responsibility of the College)

महाविद्यालय दिव्यांग विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ एवं सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है—

1. दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं उनके चयन के संबंध में परामर्श प्रदान करना।

2. निर्धारित आरक्षण एवं प्रवेश नियमों के अनुसार अधिकाधिक दिव्यांग विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने का प्रयास करना।
3. दिव्यांगजनों से संबंधित शुल्क में छूट, परीक्षा प्रक्रिया, आरक्षण नीति एवं अन्य सरकारी आदेशों तथा दिशा-निर्देशों का संकलन एवं अनुपालन करना।
4. उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का आकलन करना तथा उनके अनुरूप आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
5. शिक्षकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि वे दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं को अपना सकें।
6. दिव्यांग विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना तथा शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराना।
7. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं (Remedial Coaching Classes) का आयोजन करना।
8. दिव्यांग विद्यार्थियों को खेलकूद एवं अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
9. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ई-लर्निंग के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों हेतु उपलब्ध विशेष अनुभाग (Special Section for the Visually Challenged) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

5. सुगम्यता संबंधी नीति (Accessibility Policy)

1. सुगम्यता का अर्थ दिव्यांगजनों के लिए महाविद्यालय की सभी सेवाओं, गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले लाभों को पूर्णतः सुलभ एवं उपयोग योग्य बनाना है।
2. महाविद्यालय द्वारा दिव्यांगजन अनुकूल परिसर के निर्माण के लिए विभिन्न आवश्यक व्यवस्थाएँ विकसित की जाएँगी। महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्राध्यापकों द्वारा प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त एवं युक्तिसंगत सुविधाएँ (Reasonable Accommodations) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. महाविद्यालय परिसर को बाधारहित (Barrier-Free) एवं दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस उद्देश्य से आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर रैम्प (Ramps) एवं रेलिंग

(Railings) का निर्माण किया जाएगा, जिससे दिव्यांगजन परिसर में सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन कर सकें।

6. सुगम्यता के प्रमुख सिद्धांत (Principles of Accessibility)

महाविद्यालय में सुगम्यता के निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा—

1. सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया जाएगा।
2. सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुलभ पाठ्यपुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
3. सुगम्यता से संबंधित मुद्दों एवं दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों हेतु नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

7. परीक्षा संबंधी नीति (Examination Policy)

महाविद्यालय दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं के दौरान उपयुक्त एवं युक्तिसंगत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में पृथक बैठने की व्यवस्था (Separate Seating Arrangement) की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता एवं पात्रता के अनुसार लेखक (Scribe) की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। परीक्षा संबंधी सभी सुविधाएँ संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों, दिशा-निर्देशों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएँगी।

डॉ. राकेश मोहन नौटियाल
आई क्यु ए सी संयोजक

डॉ. दीपक राणा
नोडल अधिकारी दिव्यांग जन समिति

प्रोफेसर गौरी सेवक
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
कमान्द, टिहरी गढवाल।



OPPO Reno11 Pro 5G

4 November 2026 at 12:16 Lwarkha



OPPO Reno11 Pro 5G

4 November 2026 at 12:16 Lwarkha



OPPO Reno11 Pro 5G

4 November 2026 at 12:15 Lwarkha